भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2253
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

2253. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ड्रोन क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रुपये के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने का प्रस्ताव है;
(ख) ड्रोन क्षेत्र के लिए 165 करोड़ रुपए की पूर्व पीएलआई योजना द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) ड्रोन क्षेत्र के मौजूद कार्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उन कार्यक्षेत्रों के बीच 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किस प्रकार किया जाएगा;
(घ) क्या पूर्व योजना के विपरीत नया पीएलआई विदेशी ड्रोन विनिर्माताओं को अनुमति देगा;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) उपरोक्त नए पीएलआई से भारत को चीन और अन्य देशों पर निर्भर न होने में किस सीमा तक मदद मिलेगी?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2021 को ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) को अधिसूचित किया है, जिसमें तीन वित्त वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन शामिल है। आज की तारीख तक, योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः लगभग 29.43 करोड़ रुपये, 28.76 करोड़ रुपये और 2.43 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

****